सर्वोच्य प्राथमिकता

कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोरखपुर।

पत्रांकः C-2429 / जि0का0अधि0 / अनु.पू. / 2020–21 दिनांक 22 फरवरी, 2021

समस्त
आंगनबाडी / मिनी कार्यकत्री
जनपद–गोरखपुर।

विषयः– अनुपूरक पोषाहार के अन्तर्गत नवीन पुष्टाहार की आपूर्ति के वितरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश–लखनऊ के पत्र संख्या सी. 604 दिनांक 20.12.2020 के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिए गए निर्देश के क्रम में नवीन पोषहार की आपूर्ति की जा रही है। नवीन पोषाहार की आपूर्ति का वितरण के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को वीडियों कान्फ्रेसिंग बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि है कि आंगनबाडी केन्द्रो के समस्त पात्र लाभार्थियों को आधार कार्ड आंगनबाडी / मिनी आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा इकट्ठा (संकलित) कर एक कॉपी अपने पास रखेगी तथा एक प्रति अपने–अपने बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। छोटे बच्चे (06 माह से 03 वर्ष) होने की स्थिति में अभिभावक जैसे–माता / पिता का आधार कार्ड तथा जिन बच्चे / अभिभावक का आधार कार्ड नहीं बना है उस स्थिति में आधार कार्ड बनबाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त प्राप्ति रसीद के साथ राशन कार्ड की प्रति भी मान्य है।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने केन्द्र के समस्त पात्र लाभार्थियों का आधार कार्ड के साथ–साथ छोटे बच्चे (06 माह से 03 वर्ष) होने की स्थिति में अभिभावक जैसे–माता / पिता का आधार कार्ड तथा जिन बच्चे / अभिभावक का आधार कार्ड नहीं बना है उस स्थिति में आधार कार्ड बनबाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त प्राप्ति रसीद के साथ राशन कार्ड की प्रति की फोटो कॉपी शतप्रतिशत लाभाथियों का प्राप्त करते हुए एक प्रति आंगनबाडी केन्द्र पर तथा दूसरी प्रति अपने–अपने परियोजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नही है। अगर नेफ़ड / स्वयं सहायता समूह द्वारा पोषाहार वितरण के समय समस्त लाभार्थियों का आधार कार्ड तथा आधार ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त प्राप्ति रसीद के साथ राशन कार्ड की प्रति न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरती गयी है। ऐसी स्थिति में आपके मानदेय सेवा से पृथक करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी। इसके लिए आपलोग स्वतः जिम्मेदार होंगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश–लखनऊ।

2– जिलाधिकारी, गोरखपुर।

3– मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।

4– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद–गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि पत्र प्रत्येक आंगनबाडी / मिनी कार्यकत्री को प्राप्त कराने के साथ कि उक्त दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

5– समस्त मुख्य–सेविका जनपद–गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि अपने–अपने परिक्षेत्र के समस्त आंगनबाडी / मिनी कार्यकत्री को उक्त दिए गए निर्देशो से अवगत कराना सुनिश्चित करें। अगर भविष्य में किसी आंगनबाडी / मिनी कार्यकत्री द्वारा यह कहा जाता है कि उक्त निर्देशो से अवगत नहीं कराया गया है तो यह माना जायेगा कि आपलोग जानबूझकर जानकारी नही दी गयी है बाध्य होकर आपके विरूद्व कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी। इसके लिए आप स्वतः दोषी होगें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर।